डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2023/HQ/Admin/RTI-991 **New Delhi: 22.11.2023**

Sh. Ashok Jain Mahatama
High School Road, Main Bazar
Rani Staion, Jila-Pali
Rajasthan-306115
Mobile-9309384616

Subject: Providing information w.r.t. Original RTI Application received under the RTI Act 2005.

Reference: Your RTI application dated 02.11.2023 received in this office on 06.11.2023.

Information, as obtained from the concerned record holding office, is attached.

First Appeal if any may be made to the First Appellate Authority within 30 days of receipt of reply.The name, designation & address of the First Appellate Authority is as under;

Mr. Gaurav Sharma
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001

DA: 07 sheets

(S.K. Panda)
JGM/Admn.(CPIO)
Mob.-9717636811
E-mail: skpanda@dfcc.co.in

ED854652333IN

23 NOV 2023

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डडाकटड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

क्रमांक :– अज / आर.टी.आई.–2023 / दिनांक : 16.11.2023

श्री एस. के. पाण्डा,
संयुक्त महाप्रबन्धक / प्रशा0 (जू.सू.अ.)
डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषय :–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत (आर.टी.आई. क्रमांक–991) की सूचना के क्रम में।
प्रसंग :–प्रार्थी श्री अशोक जैन महात्मा (कॉर्पोरेट कार्यालय से प्राप्त ई–मेल दिनांक 07.11.2023) के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पत्र में वर्णित तथ्यों का प्रत्युत्तर / सूचना के बाबत संबंधित विभाग में प्राप्त रिपोर्ट से अवगत कराया गया कि उक्त प्रार्थी को पूर्व में भी कार्यालय डीएफसी ईकाई में कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर दस्तावेज प्राप्त करने हेतु क्रमशः इस कार्यालय के पूर्व पत्र दिनांक 27.05.2023, 03.07.2023 व 02.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया कि सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना का विवरण पृष्ठो की अधिकता होने के कारण अजमेर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रति पृष्ठ 2/– रूपये जमाकर प्राप्त कर सकते है। (छाया प्रति संलग्न)

साथ ही संयुक्त महाप्रबन्धक / प्रशा0 (जू.सू.अ.) डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली के पत्रांक क्रमांक 2023/HQ/Admin/RTI-334 दिनांक 05.07.2023 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है मामला सुलझ जाये इसके लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है। (छाया प्रति संलग्न)

(बृज राज) 17/11
महा प्रबन्धक / विद्युत
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

डीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

क्रमांक :– अज/आर.टी.आई.–2023/ दिनांक : 27.05.2023

श्री एस. के. पाण्डा,

संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)

डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषय :–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

प्रसंग :–प्रार्थी श्री अशोक कुमार जैन का आवेदन पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक संदर्भित पत्र के संबंध में प्रार्थी श्री अशोक कुमार जैन निवासी– महात्मा हाई स्कूल रोड मैन बाजार, रानी स्टेशन जिला पाली के आवेदन पत्र में वर्णित कथनो का प्रत्युत्तर संबंधित विभाग से प्राप्त कर इस पत्र के संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युत्तर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(बृज राज)
महाप्रबन्धक विद्युत/मा0स0
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

क्रमांक :–

दिनांक : 26.05.2023

	प्रार्थना पत्र संख्या	प्रत्युत्तर सूचना का विवरण
1	1	प्रार्थी श्री अशोक कुमार [illegible] के प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना पृष्ठो की अधिकता होने के कारण, अजमेर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रति पृष्ठ 2/– जमा कर प्राप्त कर सकते है।

26.05.23

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/इंजी–II
डीएफसीसीआईएल/अजमेर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

क्रमांक :– अज/आर.टी.आई.–2023/ दिनांक : 30.06.2023
3.7.2023

श्री एस. के. पाण्डा,
संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)
डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषय :–सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने वावत।

प्रसंग :–प्रार्थी श्री अशोक कुमार जैन महात्मा का आवेदन दिनांक 17.06.2023 (कॉर्पोरेट कार्यालय के ई–मेल प्राप्ति दिनांक 27.06.2023) के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक संदर्भित पत्र के संबंध में प्रार्थी श्री अशोक कुमार जैन महात्मा निवासी–हाई स्कूल रोड मैन वाजार, रानी स्टेशन जिला पाली के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2023 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार तथ्यों/कथनो की चाही गई सूचना के वावत पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 27.05.2023 से अवगत कराया जा चुका है। (छाया प्रति संलग्न)

आवेदन पत्र का प्रत्युत्तर संवंधित विभाग से प्राप्त कर इस पत्र के संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

(छाया प्रति संलग्न)

अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युत्तर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(बृज राज)
महाप्रबन्धक विघुत/मा0सं0
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

ट कोरीडोर

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

दिनांक : 28.06.2023

क्र0स0	प्रार्थना पत्र संख्या	प्रत्युत्तर सूचना का विवरण
1	1	प्राथी श्री अशोक कुमार जैन महात्मा निवासी–हाई स्कूल रोड मैन बाजार, रानी स्टेशन जिला पाली के प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन दिनांक कर 17.06.2023 (अजमेर ईकाई में प्राप्त ई–मेल दिनांक 27.06.2023) प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार तथ्यों/कथनो की चाही गई सूचना के बाबत पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 27.05.2023 से अवगत कराया जा चुका है। (छाया प्रति संलग्न) साथ ही यह अवगत कराया गया था कि चाही गई सूचना पृष्ठो की अधिकता होने के कारण, अजमेर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रति पृष्ठ 2/– जमा कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/इंजी–।।
डीएफसीसीआईएल/अजमेर

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

क्रमांक :– अज/आर.टी.आई.–2023/ दिनांक 02.08.2023

श्री अशोक जैन महात्मा
निवासी–हाई स्कूल रोड, मैन बाजार,
रानी स्टेशन जिला पाली।

विषय :–श्रीमान संयुक्त महाप्रबन्धक नई दिल्ली के आदेशानुसार पत्र कमांक 2023/HQ/Admin/RTI-334 दिनांक 05.07.2023 के क्रम में श्रीमान को जवाब उल जवाब

प्रसंग :– आपके प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 दिनांक 24.07.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 संदर्भित पत्र में वर्णित तथ्यों का प्रत्युत्तर/सूचना निम्नुनसार है :–

1. यह कि प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु उचित माध्यम कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली कार्यालय में ही नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है ना कि संबंधित डीएफसी ईकाई से।
2. यह कि कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली कार्यालय में प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2023 में वर्णितानुसार तथ्यों की पालना में इस कार्यालय के पत्रांक 27.05.2023 में स्पष्ट अंकित किया गया कि सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना का विवरण पृष्ठो की अधिकता होने के कारण अजमेर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रति पृष्ठ 2/– रूपये जमाकर प्राप्त कर सकते है। (छाया प्रति संलग्न)
3. यह कि कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली कार्यालय में प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 17.06.2023 में वर्णितानुसार तथ्यों की पालना में इस कार्यालय के पत्रांक 03.07.2023 में भी स्पष्ट अंकित किया गया कि सूचना का अधिकार 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना पृष्ठो की अधिकता होने के कारण अजमेर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर नियमानुसार प्रति पृष्ठ 2/– रूपये जमाकर प्राप्त कर सकते है। (छाया प्रति संलग्न)
4. यह कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत बार–बार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त कार्यालय को भ्रमित व उल्लझन में करने के उद्देश्य से किया जा रहा है यदि उचित माध्यम कॉर्पोरेट कार्यालय नई दिल्ली में ही नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
5. यह कि संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.) डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली के पत्रांक कमांक 2023/HQ/Admin/RTI-334 दिनांक 05.07.2023 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है मामला सुलझ जाये इसके लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

02/08/23

(बृज राज)
महा प्रबन्धक/विद्युत
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

प्रतिलिपि :–
1. श्री एस. के. पाण्डा, संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.) डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

.केटेड फ्रेट कोरीडोर

New Delhi: 05.07.2023

No. 2023/HQ/Admin/RTI-334

श्री अशोक जैन महात्मा
हाई स्कूल रोड मैन बाजार
रानी स्टेशन, जिला-पाली
राजस्थान - 306115
मोबाइल-9309384616

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।

संदर्भ: आपकी पत्र दिनांक 17.06.2023, इस कार्यालय में दिनांक 26.06. 2023 को प्राप्त हुआ।

इस कार्यालय को आपकी अपील दिनांक 12.05.2023 को प्राप्त हुई थी जिसमें आपने अपने आरटीआई आवेदन दिनांक 01.04.2023 के बारे में उल्लेख किया था। तदनुसार, आपको 31.05.2023 को उत्तर दिया गया है। अजमेर यूनिट से पुष्टि की गई कि आपका आरटीआई आवेदन उन्हें इससे पहले प्राप्त नहीं हुआ था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेशनरी शुल्क जमा करने के लिए लिखा था ताकि आपको जानकारी प्रदान की जा सके।

आपको कार्यालय आने के लिए कहने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपने अब तक लगभग 20 अलग-अलग आवेदन किए हैं और सभी उलझी हुए व भ्रमित करने वाले होने के कारण आपको उचित उत्तर नहीं दिया जा सका है। आपके सारे मामले सी.आई.सी. के पास चले जाते है।

यह दोनों पक्षों के हित में है कि मामला सुलझ जाए, इसके लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

(एस. के. पण्डा)
संयुक्त महाप्रबंधक /प्रशा. (ज. सू. अ.)
ई-मेल – skpanda@dfcc.co.in
मो: 9717636811